राज्ये सभा

अतारांकित प्रश्न् संख्याद2049

16 दिसम्बनर2015 को उत्त र के लिए

इस्पात क्षेत्र में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2049. श्री मेघराज जैन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात क्षेत्र में नए निवेश में कमी आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तगर

इस्पा्त और खान राज्यो मंत्री (श्री विष्णुएदेव साय)

(क): इस्पा्त क्षेत्र विशेषत: निजी क्षेत्र में निवेश इसकी सम्भा वना उत्साीहवर्द्धक न होने के कारण सुलभ नहीं रहे हैं , क्योंाकि वर्तमान में विश्व में अतिरिक्तक क्षमता विद्यमान है और विशेषत: चीन में 250-300 मिलियन टन की अतिरिक्ति क्षमता उपलब्धी है , जिसकी वजह से इस्पातत की कीमतों में महत्वनपूर्ण गिरावट हुई है और आयातों में वृद्धि हुई है तथा परिणामत: विद्यमान घरेलू इस्पात कंपनियों पर वित्ती य दबाव पड़ा है।

(ख) से (ग): भारत सरकार ने घरेलू इस्पाहत उद्योग को प्रोत्सादहित करने और इस्पा त उत्पापदन को बढ़ाने के लिए निम्निलखित कदम उठाएं है:-

(i) लौह अयस्कल से समृद्ध झारखण्डक, ओडिशा, छत्तीोसगढ़ और कर्नाटक राज्योंा में बड़ी क्षमता की ग्रीन फील्डन परियोजनाओं को प्रोत्साणहित करने के लिए स्पेतशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्रेमवर्क अपनाया गया है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों ने इस्पाात उत्पा दन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्तांर योजनाएं हाथ मे ली हैं। सेल ने अपनी क्रूड इस्पासत उत्पातदन क्षमता को 12.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तारर योजना हाथ मे ली है। आरआईएनएल ने अपनी क्षमता को 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए करने के लिए विस्ताआर कार्य हाथ मे लिये हैं। एनएमडीसी ने 3 एमटीपीए क्षमता के एक नए इस्पाोत संयंत्र की स्था पना का कार्य आरम्भक किया है।

(iii) कोयला ब्लाटक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्सज (स्पे शल प्रोविजंस) अमेंडमेंट एक्ट2015' अधिसूचित किया गया है।

(iv) खनन पट्टे प्रदान किये जाने को सरल बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'माईन्सई एण्डअ मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्डन रेग्यूललेशन्सट) एमेंडमेंट ,एक्ट2015' अधिसूचित किया गया है।

(v) सरकार ने इस्पाडत के गुणवत्तानपूर्ण उत्पाकदन और आयात के लिए दिनांक 12.03.2012 को 'स्टी)ल एण्ड स्टीतल प्रोडक्टत (क्वापलिटी कंट्रोल) आर्डर(अंतिम बार दिनांक 04.12.2014 को यथासंशोधित) अधिसूचित किया है।

***